>

Title: Need to provide compensation to Himachal Pradesh by Bhakra Beas Management Board to provide civic amenities to people displaced due to Bhakra dam in Himachal Pradesh.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भाखड़ा बांध के कारण पुराना बिलासपुर शहर संपूर्ण रूप से जलमग्न हो गया, इसलिए विस्थापितों को बसाने के लिए वर्ष 1960 में हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर शहर बसाया गया था। इस बांध से बनने वाली बिजली का दोहन देश के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आदि राज्य कर रहे हैं और इन प्रदेशों के खेतों में हरियाली लहलहा रही है, लेकिन इन्हें रोशन करने वाला हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर शहर आज अंधेरे में डूबा हुआ है। यह अत्यंत क्षोभ और दुख का विषय है कि भाखड़ा बांध बनाते वक्त भारत सरकार द्वारा विस्थापितों को बसाने एवं मुआवजा आदि दिए जाने के जो वादे किए गए थे, वे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं और आज भी भाखड़ा बांध विस्थापित दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़ को बिलासपुर शहर को बसाने के लिए 4250 करोड़ रूपए मुआवजा हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए जाने थे, लेकिन वह धन भी आज तक बी.बी.एम.बी. ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं दिया है। इसलिए प्रार्थना है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी बी.बी.एम.बी. से उक्त धन प्रदेश सरकार को अविलम्ब दिलाएं, ताकि भाखड़ा बांध विस्थापितों की कुर्बानी को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिजली, पानी, सड़कें, नालियां एवं अन्य सिविक फेसिलिटीज उपलब्ध कराई जा सकें।